(135)

10रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्र. / 2017–18

PBR/पुनर्स्थापना/भोपाल/भू.रा/2017/3320

मोहम्मद अब्दुल बाक़ी ख़ॉ, वयस्क,
पुत्र स्व. श्री असरार ख़ॉ, निवासी –
ग्राम टिकनखेड़ी, वार्ड क्र. 14,
तहसील बैरसिया, ज़िला भोपाल .... **आवेदक**

विरूद्ध

श्रीमती संध्या तोमर, वयस्क,
पत्नी श्री रघुवीर सिंह तोमर,
निवासी – सी.ए 26, द्वारका धाम,
भोपाल, कृषक – ग्राम टिकनखेड़ी,
वार्ड क्र. 14, तहसील बैरसिया,
ज़िला भोपाल .... **अनावेदक**

श्री तारिक मो० कुरैशी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत 31/8/17 3.15 PM

आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) म.प्र.भू.रा.संहिता, 1959

महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नानुसार निवेदन है कि :–

01. यह कि, उक्त प्रकरण आज दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण की ग्राहता पर तर्क़ हेतु नियत है।

02. यह कि, उक्त प्रकरण में पैरवी करने हेतु तारिक़ मोहम्मद कुरैशी, अधिवक्ता को नियुक्त किया है।

03. यह कि, उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु अधिवक्ता बैरसिया से यात्री बस में बैठकर भोपाल आ रहे थे कि रास्ते में बस ख़राब हो जाने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी पर नियत समय में उपस्थित नहीं हो सके।

04. यह कि, उक्त दिनांक को जब अधिवक्ता पेशी पर उपस्थित हुए, तब ज्ञात हुआ कि प्रकरण को अदम पैरवी में ख़ारिज कर दिया गया है।

05. यह कि, उक्त प्रकरण में अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं की गई है, बल्कि उक्त विवश्तावश हुई है, जो कि क्षमा किये जाने योग्य है।

06. यह कि, यदि उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर नहीं लिया गया, तो आवेदक को वादग्रस्त भूमि में निहित उसके वैध हितों से वंचित होना पड़ेगा, जिससे उसे अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि न्याय हित में आवेदन स्वीकार कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई किया जाना न्यायहित में उचित होगा।

भोपाल, दिनांक : 31/08/2017

आवेदक
द्वारा
अधिवक्ता
TARIQ MO. QURESHI
Advocate

PBR/पुनर्स्थापन/भोपाल/प्र.स./2017/3320 (भोपाल)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
26.9.2017	आवेदक की ओर से प्रोटेक्शन मित्र बुलेटी अभिभावक उपस्थित। पेश किये गये। अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	26.9.17